कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सुचनाएं जारी की गई
15-3-19- प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुआ। विपक्षीगण को मय नकल प्रार्थना पत्र के सम्मन जारी किये जावे। पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक ~~2-5-19~~ 16.5.19 को पेश हो। हस्ताक्षर सहायक कलेक्टर देवगढ़, जिला-राजसमन्द 16.5.19: पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। विपक्षीगण को जारी सम्मन तामील हो शामिल पत्रावली है। पत्रावली का अवलोकन किया विवरण संक्षेप मे इस प्रकार है :- प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज. ले. रे. एक्ट के तहत पेश कर निवेदन किया कि ग्राम कालेसरिया, पटवार हल्का कालेसरिया तहसील देवगढ़ में प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि स्थित है जिसके खाता नं.	

हस्ताक्षर
सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

196/109 खसरा नम्बर 962/77 रकबा 2.17 है। प्रार्थीगण ने उक्त भूमि की अभि तक पत्थरगढ़ी नही करवाई है। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि की पत्थरगढ़ी नही कराने से विपक्षीगण जो प्रार्थी की भूमि के सीमा के पड़ोसी है जो सीमा बाबत विवाद करते रहते है। यदि प्रार्थी की भूमि की बाद नपती पत्थरगढ़ी हो जाती है तो मौके पर सीमा संबंधी जो विवाद है वह हमेशा के लिये समाप्त हो जायेगा तथा प्रार्थी उसकी भूमि पर शान्तीपूर्वक कास्त वगैरह भूमि का उपयोग उपभोग शान्तीपूर्वक कर सकेगा। अतः प्रार्थी की उक्त वर्णित कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान करावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को मय नकल प्रार्थना पत्र के सम्मन जारी कियेगये। प्रत्युत्तर मे विपक्षीगण ने कोई जवाब पेश नही किया बल्की बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे जिसपर उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई है। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी। विद्वान वकील प्रार्थी ने बहस मे तर्क दिया कि प्रार्थी की उक्त वर्णित खातेदारी भूमि की पूर्व में पत्थरगढ़ी नही कराई है। भूमि की पत्थरगढ़ी नही होने तथा भूमि के चारो तरफ पक्की पत्थर की दिवार नही होने से विपक्षीगण हमेशा सीमा संबंधी विवाद करते रहते है। अतः प्रार्थी [illegible]

...र्थी ——— विपक्षी ———

...न मुकदमा ——— पत्रावली संख्या ——— पद ———

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	प्रार्थी की बहस पर मनन किया। ग्राम कालेसरिया पटवार हल्का कालेसरिया की नकल जमाबंदी संवत 2069 से 2072 में प्रार्थीगण खातेदार है। खातेदार उसके खाते की भूमि की पत्थरगढ़ी करा सकता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम कालेसरिया पटवार हल्का कालेसरिया मे स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खा० नं० 156/149 खसरा नम्बर 962/77 रकबा 2.17 बीघा भूमि की पत्थरगढ़ी करने के आदेश दिये जाते हैं। पालना हेतु तहसीलदार देवगढ़ को लिखा जावे कि प्रार्थीगण से नियमानुसार पत्थरगढ़ी शुल्क जमा करा पक्षकारान को सूचना पत्र जारी कर मौके पर नियमानुसार पत्थरगढ़ी कर रिपोर्ट पेश करें। (हस्ताक्षर) सहायक कलेक्टर देवगढ़, जिला राजसमन्द	

निर्णय आज दिनांक 16.5.19. को खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला राजसमन्द